राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण उत्तराखण्ड

A1,आई0टी0 पार्क, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून–248013

ई–मेल : ceo-shauk@uk.gov.in

पत्रांक– रा0स्वा0प्रा0 / 2023-24 / 151 दिनांक 02 मई, 2023

श्री सतीश कुमार जैन
चेयरमैन / सी0ई0ओ0
कालिन्दी हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट,
लाइन जीवनगढ़,
चकराता रोड, विकास नगर–248198
जिला–देहरादून।
Email Id : kalindihospital@gmail.com

कृपया राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण के आदेश पत्रांक रा0स्वा0प्रा0 / 2023-24 / 125, दिनांक 27 अप्रैल, 2023 तथा आदेश पत्रांक रा0स्वा0प्रा0 / 2023-24 / 144, दिनांक 29 अप्रैल, 2023 का संदर्भ लेने का कष्ट करें, जिनके अनुसार हॉस्पिटल को निरस्त किये गये क्लेम्स् तथा पेनल्टी की धनराशि का भुगतान राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण को किया जाना है। भुगतान की जाने वाली धनराशि का विवरण निम्न प्रकार है:–

Particulars of Amount for Rejected Claims and Penalty

S. No.	Particulars	Amount of Rejected claims (in Rs.)	Amount of Penalty imposed (in Rs.)	Total Amount to be recovered (in Rs.)
1.	171 paid claims rejected	47,66,790	47,66,790	9533580
2.	410 paid claims rejected	74,85,750	74,85,750	14971500
3.	215 paid claims rejected	60, 89,080	60, 89,080	12178160
	Total	**1,83,41,620**	**1,83,41,620**	**3,66,83,240**

सुलभ संदर्भ हेतु प्राधिकरण के उक्त आदेश पत्रांक रा0स्वा0प्रा0 / 2023-24 / 125, दिनांक 27 अप्रैल, 2023 तथा आदेश पत्रांक रा0स्वा0प्रा0 / 2023-24 / 144, दिनांक 29 अप्रैल, 2023 संलग्न हैं।

कृपया उक्त निरस्त किये गये 796 केसेज के क्लेम्स् तथा पेनल्टी की कुल धनराशि रू0 3,66,83,240/- (तीन करोड़, छियासठ लाख, तिरासी हजार, दो सौ चालीस रूपये) एक सप्ताह में अर्थात दिनांक 09.05.2023 तक राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण के निम्न बैंक खाते में जमा कराने का कष्ट करें।

Name of Beneficiary – Atal Ayushman Uttarakhand Yojana (Grant-in-Aid implementation Escrow A/c)
Account No. 016405006778
Name of Bank: - ICICI Bank, Dehradun
IFSC Code- ICIC0000164

उक्त धनराशि दिनांक 09.05.2023 तक जमा न कराये जाने की स्थिति में राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा Guidelines for Recoveries and other Actions Post Confirmation of Fraud and other Irregularities तथा अन्य विधिक व्यवस्था के अन्तर्गत रिकवरी की कार्यवाही की जायेगी।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

(अतुल जोशी)
अपर निदेशक, प्रशासन
राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण